फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

लालगिर **बनाम** पेमा आदि व अन्य

किस्म मुकदमाः– 212 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः–130/2017

GCMS:-2017/00332

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रा0पत्र दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के पिता गंगागिर पुत्र हुकमगिर के नाम से चक 3 एस0पी0एम0 तहसील सूरतगढ़ के प0न0 137/22 कि0न0 3 ता 8, 13 ता 19, 23 ता 25 की 16.00 बीघा कमाण्ड, प0न0 137/30 कि0न0 1 ता 25 की 25.00 बीघा, प0न0 137/38 कि0न0 1, 7 ता 25 की 20.00 बीघा, प0न0 137/ कि0न0 21/2, प0न0 137/47 कि0न0 1,10 ता 12, 19 ता 23/9.00 बीघा, प0न0 137/49 कि0न0 1 ता 3, 8 ता 11 की 7.00 बीघा, प0न0 137/40 कि0न0 1 ता 18 की 18.00 बीघा, प0न0 137/32 कि0न0 4, 5 की 2.00 बीघाा, प0न0 137/23 कि0न0 4 ता 6 की 3.00 बीघा, प0न0 137/31 कि0न0 1 ता 19, 23 ता 25 की 22.00 बीघा, प0न0 137/39 कि0न0 1 ता 25 की 25.00 बीघा कुल 148.00 बीघा कमाण्ड दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। प्रार्थी के पिता गंगागिर के फौत हो जाने के पश्चात् कुल 6 वारिस मु0पेमा बेवा गंगागिर, काशीगिर, रूपगिर, गोपालगिर, कृष्णगिर, लालगिर कुल 6 वारिसान के नाम से विरास्तन इंतकाल सं. 2 दिनांक 6.06.1981 के ब0हि0ब दर्ज हुई। उपनिवेशन विभाग में उक्त भूमि मुताबिक विरास्तन इन्तकाल प्रार्थी के नाम से अंकित चलती रही है। क्योंकि उस समय जमाबंदी नही थी गिरदावरी ही राजस्व रिकार्ड की श्रेणी में आती थी। उपनिवेशन विभाग समाप्त होने पर जल्दबाजी में जमाबंदी तैयार करते समय गलती से प्रार्थी का नाम जमाबंदी में दर्ज होने से छुट गया तथा निरस्तर राजस्व अंकन जमाबंदी में गलत चलता रहा हे। उक्त जैरवाद भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम से 1/6 हिस्सा यानि 6.169 है0 प्रत्येक के नाम से अंकित होनी चाहिये थी परन्तु प्रार्थी का नाम अंकन ना होने अप्रार्थी सं. 1 ता 5 प्रत्येक के नाम से 1/5 हिस्सा दर्ज होने के कारण पेमा, काशीगिर, रूपगिर, गोपालगिर, कृष्णगिर के नाम से प्रत्येक के 7.403 है0 भूमि प्रत्येक के नाम दर्ज हो गई, जबकि उक्त भूमि में प्रत्येक का 6.169 है0 हिस्सा ही था। इस प्रकार 1.234 है0 हिस्सा प्रत्येक वारिसान के नाम से हिस्सा से अधिक दर्ज हो गई। उक्त गलत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में होने से काशीगिर के 7 वारिसान में से बृजगिर, दलीपगिर, रूकमा, गुड्डी ने काशीगिर के नाम से गलत अंकित हुए कुल 7.403 है0 भूमि में से 4/7 हिस्सा का यानि 4.230 है0 भूमि का बेचान जरिये बैयनामा अप्रार्थी संख्या 6 को 2.115 है0 व अप्रार्थी संख्या 7 को 1.057 है0 व अप्रार्थी संख्या 8 को 1.058 कुल 4.230 है0 भूमि का कर दिया। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में हो चुका है। शेष भूमि काशीगिर के अन्य वारिसान अप्रार्थी सं. 2/2, 2/3, 2/7 के नाम से 3.173 है0 भूमि दर्ज है। जो कि गलत दर्ज है। उक्त 3.173 है0 भूमि में से 1.234 है0 भूमि कलमजन कर प्रार्थी के 1/6 हिस्सा अंकित करवाना अधिकारी है। अप्रार्थीगण द्वारा किया गया बैयनामा प्रार्थी के हितो पर [illegible] प्रार्थी का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 16:47:41 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जैरवाद भूमि में से 1/6 हिस्सा यानि 6.170 है0 भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी के भाईयों ने वादाधीन भूमि की खातेदारी सनद भी अपने नाम से जारी करवा ली है। उक्त सनद में भी प्रार्थी का नाम अंकित नही है। अप्रार्थीगण उक्त जैरवाद भूमि का बेचान करने पर उतारू है। अगर उन्होने गलत इन्द्राज के कारण भूमि का बेचान व अन्य किसी को हस्तातंरण कर दिया तो प्रार्थी का ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये प्रा.पत्र स्वीकार कर चक 3 एस.पी.एम. के खाता सं. 43/32 की 37.0190 है0 भूमि को अप्रार्थीगण उक्त भूमि का रहन, बैयन, दान आदि किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण ना करें व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे व वादी के कब्जा में अप्रार्थीगण को दखलदांजी करने से पाबंद किया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। जैरवाद भूमि प्रार्थी के पिता गंगागिर के नाम से अंकित थी। गंगागिर के फौत होने पश्चात् नामा0 सं0 02 दि0 06.06.1981 द्वारा जैरवाद रकबा उसके वारिसान के नाम खोला गया है। इसके पश्चात् गिरदावरी सम्वत् 2036 से 2039 में भी प्रार्थी के नाम अंकित रही है। इसके पश्चात् प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। इसलिये प्राथमिक रूप से मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है एवं सुविधा व संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि जैरवाद भूमि आगे बेचान हो गई तो विवाद अधिक बढेगें। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि वे जैरवाद भूमि चक 3 एस.पी.एम' के खाता संख्या 43/32 की 37.0190 है0 भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा उक्त भूमि को रहन, बैय अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरण न करने हेतु प्रतिबंधित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 16:47:41 IST
Reason: SelfAttested